Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में सहायक उपनिरीक्षक पुलिस 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *27 फरवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई द्वारा आज रविवार को कोटा ग्रामीण में कार्यवाही करते हुये रामरतन खटीक सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कनवास, जिला कोटा ग्रामीण को परिवादी से 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमें गिरफ्तार नहीं करने एवं एफआर लगाने की एवज में अनुसंधान अधिकारी रामरतन खटीक सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कनवास, जिला कोटा ग्रामीण द्वारा 2 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री हर्षराज सिंह खरेड़ा एवं** उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये रामरतन खटीक पुत्र श्री धन्नालाल निवासी ढीबरी चम्बल, थाना खातौली, जिला कोटा हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कनवास, जिला कोटा ग्रामीण परिवादी से 50 **हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।